

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazetteएस.जी.-डी.एल.-अ.-05102024-257719  
SG-DL-E-05102024-257719असाधारण  
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 246]	दिल्ली, ब्रह्मस्पतिवार, अक्टूबर 03, 2024/आश्विन 11, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 208
No. 246]	DELHI, THURSDAY, OCTOBER 03, 2024/ASVINE 1, 1946	[N. C. T. D. No. 208

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

(स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

दिल्ली, 3 अक्टूबर, 2024

फा. सं. 13(112)/विविध/2022/628 औषधि नियमावली: 1945 के नियम 44 तथा प्रसाधन नियमावली, 2020 के नियम 7 के साथ पठित औषधि एवं प्रसाधन अधिनियम, 1940 (1940 का 23) की धारा 20 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केन्द्र सरकार की पूर्व सहमति से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा डॉ० अंजन पाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (सूक्ष्मजीव विज्ञान) एवं डॉ० प्रोदिप्ता सरकार, एसोसिएट जैव रसायनज्ञ, केंद्रीय आषधि प्रयोगशाला (सीडीएल), कोलकाता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को प्रसाधन सामग्रियों एवं औषधियों, जिसमें औषधि नियमावली, 1945 की अनुसूची ग तथा ग-1 में विनिर्दिष्ट औषधियां सम्मिलित हैं, आषधि की निम्नलिखित श्रेणियों को छोड़कर, के परीक्षण और विश्लेषण करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए सरकारी विश्लेषक के रूप में नियुक्त करते हैं, अर्थात् -

- (i) सीरा;
- (ii) इंजेक्शन के लिए अभिप्रेत सीरम प्रोटीनों का विलियन;

- (iii) वैक्सीन (आंत्रेतर और मुख से);
- (iv) टॉक्सिन;
- (v) एंटीजन;
- (vi) एंटी-टॉक्सिन;
- (vii) विसंक्रमित भाल्यबन्ध और विसंक्रमित टांके;
- viii) बैक्टेरियोफेग्स;
- (ix) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए एंटी-सीरा;
- (x) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए वैक्सीन;
- (xi) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए टॉक्साइड्स;
- (xii) पशु चिकित्सीय उपयोग के लिए नैदानिक एंटीजन;
- (xii) वी डी आर एल एंटीजनय ;
- xiv) अन्तः गर्भाशय युक्तियां और फेलोप छल्ले;
- (xv) मानव रक्त और मानव रक्तोत्पाद;
- (xvi) मानव इम्युनोडेफिशिएंसी विषाणु, हेपेटाइटिस बी सर्फेस एंजीजन और हेपेटाइटिस सी विषाणु के लिए रक्त समूहन अभिकर्मक और नैदानिक किटें; और
- (xvii) कण्डोम

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर  
राजेन्द्र कुमार आहूजा, उप सचिव

**(HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT)**

**NOTIFICATION**

Delhi, the 3<sup>rd</sup> October, 2024

**F. No. 13(112)/Misc./2022/628.**—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of Section 20 of the Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940), read with Rule 44 of Drugs Rules, 1945, Rule 7 of Cosmetics Rules, 2020 and prior consent of the Central Government, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to appoint Dr. Anjan Pal, Senior Scientific Officer (Microbiology) & Dr. Prodipta Sarkar, Associate Biochemist, Central Drugs Laboratory (CDL), Kolkata, Ministry of Health & Family Welfare, Government of India, as Government Analysts for the National Capital Territory of Delhi for carrying out the tests and analysis of cosmetics and drugs including those specified in Schedule C and C-1 of the Drugs Rules, 1945, except for classes of drugs mentioned below, namely: -

- (i) Sera;
- (ii) Solution of Serum Proteins intended for injections;
- (iii) Vaccines (Parenteral & Oral);
- (iv) Toxins;
- (v) Antigen;
- (vi) Anti-toxins;
- (vii) Sterilized Surgical Ligatures and Sterilized Surgical Sutures;
- (viii) Bacteriophages;
- (ix) Anti-Sera for veterinary use;

- 
- (x) Vaccines for veterinary use;
  - (xi) Toxoid for veterinary use;
  - (xii) Diagnostic Antigens for veterinary use;
  - (xiii) VDRL Antigen;
  - (xiv) Intra-Uterine Devices and Folope Rings;
  - (xv) Human Blood and Human Blood Products;
  - (xvi) Blood Grouping reagents and diagnostic kits for Human Immunodeficiency Virus. Hepatitis B Surface Antigen and Hepatitis C virus; and
  - (xvii) Condom

By Order and in the Name of the Lt. Governor of  
the National Capital Territory of Delhi,  
RAJENDER KUMAR AHUJA, Dy. Secy.